न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

पीठासीन अधिकारी — रतनलाल रैगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 177 / 2018

प्रार्थीगण :–

1. रामूराम पुत्र श्री मानाराम
2. हमीराराम पुत्र श्री मानाराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम श्री लक्ष्मणनगर
   चाडी तहसील बापिणी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. नारायणराम पुत्र श्री प्रभूराम
2. बाबुराम पुत्र श्री मेघाराम
3. जेठाराम पुत्र श्री मेघाराम
4. कुम्भाराम पुत्र श्री मेघाराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम श्री लक्ष्मणनगर
   चाडी तहसील बापिणी जिला जोधपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार बापिणीजिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री राजेश खीचड

अप्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 06.03.2019

प्रार्थीगण की ओर से उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता के नाम खातेदारी भूमि खसरा सख्या 816 / 1 रकबा 21 बीघा 02 बिश्वा ग्राम सियोलनगर पटवार हल्का लक्ष्मणनगर उक्त भूमि में प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की भूमि मे दखलदाजी करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से परेशानी होती है भूमि आयी हुई है अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की सीमाओ को आगे पीछे करके खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया इसलिए प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान बाबत प्रार्थना पत्र उपतहसील [illegible] के समक्ष पेश कर राजकोष में राशि नियमानुसार जमा [illegible] दिनॉक 18.07.2018 को सीमाज्ञान करवाने बाबत मौके पर जाकर [illegible] जिस पर हल्का पटवार ने सम्बधित पक्षकारो को सूचित कर मिमो टेस की सह[illegible] से मौतबीरान के समक्ष खसरा सख्या 816 / 1 रकबा 21 बीघा 02 बिश्वा भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर [illegible]ानी माठ कायम की गयी व मौतबीरान के हस्ताक्षर करवाए गये। मौका फर्द की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:34:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा ने वकालातनामा पेश किया ।

उक्त पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गयी अधिकारी प्रार्थीगण के द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण न तो मौके पर सीमाज्ञान करने दे रहे है तथा प्रार्थीगण की सीमाओं को खुर्द बुर्द कर रहे है व मौके पर लडाई झगडा करने हेतु आमदा हो रहे हैं अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश नही कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खसरान की भूमि की पैमाईस रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा न तो दोनो पक्षकारान की उपस्थिति मे की गयी वक्त पैमाईस अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से सूचित नही किया गया व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की वर्षो से पौराणिक कणा माठ कायम है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये कब्जे मे कोई दखलदांजी नही की जा सकती है। बेदखली हेतु अलग से वादपत्र पेश करना पडता है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया कि प्रार्थीगण की खातदारी भूमि के पडोस मे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम श्री सियोलनगर पटवार हल्का श्री लक्ष्मणनगर की सरहद में स्थित खेत खसरा सख्या 816 / 1 रकबा 21 बीघा 02 बिश्वा, भूमि का उभय पक्षकारान की उपस्थिती में दोनो पक्षकारो की खेत की पैमाईस कर सही सीमाज्ञान किया जाकर सीमाज्ञान की पत्थरगडडी की जाने बाबत तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है तथा पुलिस थाना भोजासर को आदेशित किया जाता है कि वक्त पत्थरगडडी समुचित पुलिस ईमदाद दिलायी जावे ताकि मौके पर वक्त पत्थरगडडी शान्ति व्यवस्था बनी रहे । पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो ।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियां

आदेश आज दिनॉक 06.03.2019 को हस्ताक्षरित करके [illegible]लय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:34:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner